

भाग ॥।।।
 (संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल विदिशा द्वारा भाग ॥ में की गई अनुशंसा के आधार पर, जिला विदिशा अंतर्गत विकासखंड लटेरी के ग्राम रामपुर नौआबाद में जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु 5 मीटर ऊंचे एम.एस. स्टेजिंग क्लैमिंग पर 5000 या 2 X 5000 लीटर पानी के टैंक की स्थापना एवं मार्ग के किनारे (ROW) पाईप लाईन बिछाने हेतु वनमण्डल विदिशा के परिसेत्र दक्षिण लटेरी की 0.04824 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत अनुशंसा की जाती है।

तिथि :— 23. 12. 2021

स्थान: भौपाल

नाम
 सरकारी मोहर
 (राजनीति सक्षेत्र)
 मुख्य वन संरक्षक
 भौपाल वृत्ता भौपाल

23.12.21

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

2533

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)

म0प्र0 भोपाल

विषय:- विदिशा जिले के विकास खंड लटेरी के ग्राम रामपुर नौआबाद में जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु 5 मीटर ऊंचे एम.एस. स्टेजिंग क्लैमिंग पर 5000 या 2 X 5000 लीटर पानी के टैंक की स्थापना एवं पाईप लाईन निर्माण हेतु 0.04824 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/146334/2021)

संदर्भ:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक/मा.चि./5905 दिनांक 10/12/2021

—0—

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा ने संदर्भित पत्र द्वारा जिला विदिशा, विकास खंड लटेरी के ग्राम रामपुर नौआबाद में जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु 5 मीटर ऊंचे एम.एस. स्टेजिंग क्लैमिंग पर 5000 या 2 X 5000 लीटर पानी के टैंक की स्थापना एवं मार्ग के किनारे किनारे (ROW) पाईप लाईन बिछाने हेतु परिक्षेत्र दक्षिण लटेरी के कक्ष क्रमांक पी 471 की 0.04824 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति देने बाबत, प्रस्ताव ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में, अनुशंसा सहित इस कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/5/18/ 2002/10-3 दि. 18/11/04 एवं एफ-5/18/2002/10-3 दि. 14/12/05 एवं एफ 5/18/2002/10-3 दि. 01/07/09 तथा आपके पत्र क्रमांक/एफ-11/2015/2637 दि. 28/10/2015 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राईट ऑफ वे के तहत अभ्यारण के बाहर स्थित वनक्षेत्र में बिना वृक्षों की कटाई के प्रस्तावों में स्वीकृति के अधिकार, क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं एवं आपके पत्र क्र एफ-11/2017/10-11/2586 दि. 01/09/17 से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित मु0व0सं0 (क्षेत्रीय) का अनुमोदन आवश्यक है।

परन्तु आपके पत्र क्र एफ-5/2021/10-11/4111 दि. 09/12/21 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण में स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी जाना है। अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, 2 प्रति में सहमति सहित अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

पृष्ठक्रमांक/मा.चि./ 2534

प्रतिलिपि:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मेकेनिकल डिवीजन, अरविंद विहार, लहारपुर डेम के पास बाग मुगालिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(राज्य सरकार)

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

23-12-21